

कार्यालय – उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर

क्रमांक :- लेखा/निविदा/वाहन किराया/2015-16/

दिनांक:-

सीमित निविदा

उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बीकानेर द्वारा बीकानेर जिले में संचालित राजकीय/अनुदानित छात्रावासों के प्रभावी निरीक्षण/मॉनिटरिंग एवं जांच व मीटिंग, कैम्पों आदि विभागीय कार्यों हेतु किराये के वाहन/जीप/बोलेरो/कार की वित्तीय वर्ष 2016-17 (28 फरवरी 2016 तक) आवश्यकता है अतः इच्छुक निविदादाता अपनी निविदायें दिनांक 25.2.2016 तक दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं प्राप्त निविदायें उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दोपहर 1.00 बजे खोली जायेगी ।

शर्तें

1. निम्न विवरणानुसार वाहन किराये की दर दें

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रतिमाह 1500 किलोमीटर तक सर्विस टैक्स सहित	निर्धारित सीमा 1500 किमी प्रतिमाह से अधिक चलने पर दर प्रति किलोमीटर सर्विस टैक्स सहित	मुख्यालय से बाहर रात्रि विश्राम पर वाहन चालक को अधिकतम 200 रु. का भुगतान
1	इण्डिका कार डीजल नोन ए.सी.			
2	जीप/बोलेरो/टवेरो/ मार्शल			

- निविदा व्यक्तिगत, वाहन मालिक, फर्म, ट्रेवलस एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है उनका वाहन उनके नाम से टेक्सी चालन के रूप में रजिस्टर्ड हो एवं वाहन 5 वर्ष से अधिक पुराना न हो न्यू मॉडल का वाहन हो ।
- वाहन किराये पर लेने के लिये विभाग द्वारा एक कमेटी गठित की गई है उक्त कमेटी की अनुशंषा पर न्यूनतम निविदादाता को कार्यादेश दिये जायेंगे
- वार्षिक परिचालन की व्यय राशि के आधार पर 5 प्रतिशत सुरक्षा अमानत राशि जमा करानी होगी
- टोल टेक्स के अलावा सभी प्रकार के टैक्स वाहन मालिक द्वारा भुगतान किये जायेगे ।
- भुगतान करते समय सभी प्रकार की वैधानिक कटौतियां की जायेगी
- एक माह में 1500 किमी से अधिक चलने पर अधिक किमी का भुगतान 7.25 रु. प्रति किलोमीटर अधिकतम की दर से किया जायेगा ।
- वित्त विभाग के आदेश अनुसार 1 माह में 2000 किमी तक वाहन चलने पर अधिकतम 23625/- रु. ही देय है ।
- सफल निविदादाता को निर्धारित राशि के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर एग्रीमेंट (अनुबन्ध) करना होगा
- निम्न हस्ताक्षरकर्ता को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा ।

उपनिदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
बीकानेर

क्रमांक :- लेखा/निविदा/वाहन किराया/2012-13/1446-57 दिनांक:- 19-2-16

प्रतिलिपि :-

1- मैसर्स

(1) मै.....

(2) मै.....

(3) मै.....

2- कार्यालय जिला कलक्टर नोटिस बोर्ड

3- कार्यालय हाजा नोटिस बोर्ड

उपनिदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
बीकानेर